न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 03/2014

अपीलान्ट

मस्ताना दुग्ध उत्पादक समिति खारडा जरिये अध्यक्ष फाऊलाल लोढा पुत्र रतनलाल लोढा जाति लोढा जैन निवासी 26, जोधपुरिया बास, पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/3/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 4/2013 सरकार बनाम मस्ताना दुग्ध उत्पादन समिति खारड़ा में पारित आदेश दिनांक 13.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस में कथन किया कि ग्राम खारड़ा के खसरा नम्बर 558/1 की भूमि अपीलाण्ट को सामूहिक कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई थी। जिस पर अपीलाण्ट सहित अन्य सदस्यगण काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार रोहट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन शर्तो की अवहेलना बताते हुए आवंटन निरस्त कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई रेकर्ड का अवलोकन किये तथा रेवेन्यू कोर्टस मैन्यूअल के प्रावधानों की पालना किये बिना जैर अपील आदेश के जरिये रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट के पक्ष में किए गए आवंटन को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय मात्र इस आधार पर पारित किया गया कि सामूहिक काश्त करने के सम्बन्ध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि अपीलाण्ट द्वारा गिरदावरी की नकले प्रस्तुत की, जिसमें काश्त दर्ज है। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि जैर अपील वादस्थ भूमि पर काश्त हो रही है अथवा नही। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पूर्णतः नजरअन्दाज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपीलाण्ट को जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट से विधिवत तामील ही नहीं हुआ, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश पारित करते हुए समिति के नाम हुए आवंटन को अपास्त कर दिया। उक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2012 को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2012 को अपास्त किया तथा प्रकरण जिन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया, उन निर्देशों की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालना किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। वर्तमान में सोसायटी अस्तित्व में है, जिस पर सोसायटी के सदस्यगण काश्त करते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज किया जाकर विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 1981 पेज 180 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें समस्त तथ्यों को रेखांकित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा सामूहिक रूप से कृषि कार्य नहीं किया जाता है तथा आवंटन शर्तो की अवहेलना होने के कारण तहसीलदार रोहट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट तहसीलदार रोहट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मस्ताना दुग्ध उत्पादक समिति को किये गए भूमि आवंटन के सम्बन्ध में नियम 1959 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट/अप्रार्थी को ग्राम खारड़ा के खसरा नम्बर 558/1 रकबा 400 बीघा भूमि का सामूहिक कृषि कार्य हेतु आवंटन किया गया था। वर्तमान में सोसायटी के सदस्यों द्वारा उक्त भूमि पर काश्त नहीं की जाती है तथा न ही भूमि सुधार किया गया है। इसके अतिरिक्त सोसायटी के संविधान अनुसार किसी प्रकार की ऑडिट भी नहीं करवाई गई है। सोसायटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की जा रही है एवं सोसायटी की लीज नवीनीकरण भी नहीं करवाई गई है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 12.03.2012 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट के पक्ष में किया गया आवंटन को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 26.11.2012

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पक्षकारान् को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बाद सुनवाई पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। इस आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अपने अधिवक्त के मार्फत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा लगाये गए आक्षेपों को गलत एवं निराधार बताते हुए उनका खण्डन किया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट के पक्ष में हुए आवंटन को अपास्त किया। राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भू–आवंटन) नियम 1959 में सहकारी समिति को भूमि आवंटन के प्रावधान वर्णित है। इस न्यायालय दिनांक 26.11.2012 के जरिये पारित निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय को जो निर्देश प्रदान किये गये थे, उनका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत पालना नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0डी0 1981 पेज 180 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम वरदान में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "Remand-- Directions issued by higher courts--Duty of lower court to observe them punctually and correctly --To flout such directions highly objectionable" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः लागू होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना की जानी थी, जो नहीं की गई है, जिसके कारण जैर अपील निर्णय कायम रखने योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 04/2013 सरकार बनाम मस्ताना दुग्ध उत्पादक समिति में पारित आदेश दिनांक 13.02.2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 67/2012 में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2012 में दिये गए निर्देशों की पालना करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/3/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली